

## अध्याय XXI : युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

### 21.1 सीमा-शुल्क का परिहार्य भुगतान

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल.एन.आई.पी.ई.), ग्वालियर को मंत्रालय द्वारा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सामग्री का आयात करने की दी गई सलाह की विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज, विलम्बन तथा अन्य प्रभारों सहित ₹1.06 करोड़ के सीमा-शुल्क का परिहार्य भुगतान करना था।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एल.एन.आई.पी.ई.), ग्वालियर ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के माध्यम से अपने परिसर में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करने का निर्णय लिया (जुलाई 2007)। ट्रैक का उपयोग गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों अर्थात् शैक्षिक प्रायोजन तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण हेतु किया जाना था। एल.एन.आई.पी.ई. ने उपर्युक्त कार्य के प्रति सी.पी.डब्ल्यू.डी. को ₹3.28 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 2008)।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने मैसर्स पोरप्लास्टिक स्पोर्ट्सबाऊ वोन क्रेमन जी.एम.बी.एच. एण्ड कं. जर्मनी को कार्य सौंपा तथा एल.एन.आई.पी.ई. को सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाने हेतु जर्मनी से आयात किए जाने हेतु अपेक्षित सामग्री पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट हेतु एम.वाई.ए.एस. से सीमा-शुल्क छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अनुरोध किया (जुलाई 2011)। एल.एन.आई.पी.ई. ने ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एम.वाई.ए.एस. को अनुरोध किया (जुलाई 2011, सितम्बर 2011 तथा दिसम्बर 2011)।

एम.वाई.ए.एस. ने, वित्त मंत्रालय के परामर्श से, एल.एन.आई.पी.ई. को सलाह दी (जनवरी 2012) कि सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु इसे भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) अथवा राज्य खेल प्राधिकरण (मध्य प्रदेश) (एस.ए.एस.(एम.पी.)) के माध्यम से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का आयात करना चाहिए। सलाह वित्त मंत्रालय के तर्क पर आधारित थी कि अधिसूचना सं. 146/94-सीमा-शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994, जैसा समय-समय पर संशोधन

किया गया, के तहत खेलने की सिंथेटिक सतह अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त कि कथित माल का शिक्षण के उद्देश्य से भारत में अथवा विदेश में होने वाली राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उपयोग हेतु एस.ए.आई. अथवा संबंधित राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा भारत में आयात किया गया है, के तहत पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सलाह देने के लिए कि एल.एन.आई.पी.ई. ने एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. के माध्यम से सिंथेटिक ट्रैक सामग्री का आयात करने को कभी सी.पी.डब्ल्यू.डी. को कहा था, अभिलेख में कुछ नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विवाद के कारण, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने सिंथेटिक ट्रैक बिछाने के कार्य हेतु मैसर्स पोरप्लास्टिक स्पोर्टसबाऊ वोन क्रेमन जी.एम.बी.एच. एण्ड कं. जर्मनी के साथ संविदा को रद्द किया। परिणामस्वरूप, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने कथित कार्य को अन्य फर्म मैसर्स जियांगचिन वैनमिंग फीजिकल प्लास्टिक कं. लि. चीन को सौंपा (जून 2014)। एल.एन.आई.पी.ई. ने एस.ए.आई. को सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा चीन से आयात किए जाने से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सामग्री पर सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने हेतु सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को पत्र जारी करने का अनुरोध किया (दिसम्बर 2014)। एल.एन.आई.पी.ई. के अनुरोध की प्राप्ति पर एस.ए.आई. ने सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र जारी किया (दिसम्बर 2014) तथा अधिसूचना सं. 146/94-सीमा-शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994 के अंतर्गत सीमा-शुल्क छूट लाभ प्रदान करने हेतु उनको अनुरोध किया।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने चीन से सिंथेटिक ट्रैक सामग्री का आयात किया तथा सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करते हुए माल की निकासी हेतु सीमा-शुल्क विभाग के साथ आयात पत्र दर्ज किया जनवरी 2015।

सीमा-शुल्क विभाग ने छूट को अनुमत नहीं किया था तथा अवलोकन किया (फरवरी 2015) कि अधिसूचना सं. 146/94-सीमा-शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994 के अंतर्गत छूट का लाभ केवल तभी उपलब्ध था जब आयात एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. द्वारा किया गया हो। परंतु वर्तमान मामले में आयात सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया गया था जो शुल्क के भुगतान से छूट का हकदार नहीं था।

एल.एन.आई.पी.ई. ने सीमा-शुल्क (₹88.51 लाख), उस पर ब्याज (₹0.96 लाख) तथा विलम्बन (₹2.66 लाख) एवं अन्य प्रभार (₹13.38 लाख) के भुगतान के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को ₹105.51 लाख की राशि अदा की (फरवरी 2015)।

एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. (एम.पी.) के माध्यम से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सामग्री का आयात करने की एम.वाई.ए.एस. की सलाह का अनुपालन करने में एल.एन.आई.पी.ई. की विफलता का परिणाम ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित सीमा-शुल्क के कारण ₹105.51 लाख के परिहार्य भुगतान में हुआ।

एल.एन.आई.पी.ई. ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में बताया कि एम.वाई.ए.एस. ने सूचित (17 जनवरी 2012) किया था कि सिंथेटिक ट्रैक सामग्री के आयात के लिए सीमा-शुल्क छूट प्रमाणपत्र या तो एस.ए.आई. या फिर एस.ए.एस. (एम.पी.) से प्राप्त किया जा सकता है।

एल.एन.आई.पी.ई. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.वाई.ए.एस. ने एल.एन.आई.पी.ई. को एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. (एम.पी.) से छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कभी भी सलाह नहीं दी थी। एम.वाई.ए.एस. ने बल्कि एल.एन.आई.पी.ई. को एस.ए.आई. अथवा एस.ए.एस. (एम.पी.) के माध्यम से कथित सामग्री का आयात करने की सलाह दी थी। एल.एन.आई.पी.ई. ने मंत्रालय की सलाह की अनुपालना न करने के कारण को स्पष्ट नहीं किया था। मंत्रालय की सलाह की अनुपालना करने में एल.एन.आई.पी.ई. की विफलता का परिणाम ₹105.51 लाख के परिहार्य भुगतान में हुआ।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।